न्यायालय अतिरिक्त ज़िला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 13/2018 नामान्तरकरण अपील

1. हजारी पुत्र गेंदा जाति मीणा निवासी ग्राम नौरंगपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दा पुत्र गेंदा जाति मीणा निवासी ग्राम नौरंगपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. चेतराम पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी नौरंगपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
3. रामप्रसाद पुत्र रामसहाय
4. रामभजन पुत्र रामसहाय
5. धौली पत्नि रामसहाय

जाति मीणा निवासी ग्राम नौरंगपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

6. मीठालाल तथाकथित दत्तक पुत्र गुगल्या पुत्र रामसहाय जाति मीणा निवासी नौरंगपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 28.06.2013 जो ग्राम नौरंगपुरा के नामान्तरकरण संख्या 347 पर पारित किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति :– 1. श्री अतुल नागर अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री सतीश कुमार पारीक अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 03 लगा0 06।

–:निर्णय:– दिनांकः 21.12.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि नामान्तरकरण संख्या 347 ग्राम नौरंगपुरा पर तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2013 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की गई है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2013 एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा के आदेश दिनांक 24.06.2013 की पालना में किया जाना कॉलम नं0 14 में अंकित है। परन्तु इस नामान्तरकरण की समस्त कार्यवाही सरासर विधि विरूद्ध की गई है। इसलिये नामान्तरकरण निरस्त करने हेतु अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि ग्राम नौरंगपुरा में स्थित सम्पूर्ण भूमि 37 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काबिज हजारी पुत्र गेंदा मीना निवासी नौरंगपुरा है। अपीलान्ट का सगा चाचा जुगल्या के कोई सन्तान नहीं थी और उसने कभी भी रेस्पोडेन्ट नं0 6 मीठालाल को गोद नही लिया इसलिये अपीलान्ट का पिता गेंदा का एकमात्र उत्तराधिकारी हुआ। परन्तु मीठालाल रेस्पोडेन्ट नं0 6 को जुगल्या का दत्तक पुत्र मानकर जो निर्णय में डिक्री पारित किया गया है। वह सरासर विधि विरूद्ध है। किसी भी राजस्व न्यायालय को दत्तक पुत्र की घोषणा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट का एक चाचा किशना था जो बचपन में ही काना पुत्र भुवाना के गोद चला गया। जगन्नाथी पत्नि स्व0 गेंदा कौम मीना का देहान्त दिसम्बर 2011 में हो गया था। फिर भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश व डिक्री दिनांक 20.06.2013 को पारित कर दिया गया। किसी भी पक्षकार की मृत्यू हो जाने के पश्चात् यदि कोई निर्णय व डिक्री पारित कर दी जाती है तो वह निर्णय अवैध शून्य व प्रभावहीन माना जाता है। माननीय राजस्व मण्डल ने यह रूलिंग दे रखी है कि यदि नामान्तरकण अदालत की डिक्री के आधार पर भरा जावे तो भी रिकार्डेड खातेदार को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देकर ही नामान्तरकरण करना वैध है अन्यथा विधि विरूद्ध व निरस्तनीय है। अपीलान्ट रिकॉर्डेड खातेदार है व वास्तव में सम्पूर्ण 37 बीघा 15 बिस्वा भूमि का एक मात्र काबिज व खातेदार है एवम वर्तमान समय में भी सम्पूर्ण 37 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है इसलिये यह तथाकथित डिक्री भी विधि विरूद्ध है और उसके आधार पर किया गया नामान्तरकरण निरस्तनीय है। नामान्तरकरण अज्ञात कारणों से मिलीभगत करके गोपनीय तरीके से तत्काल करा लिया गया इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि इस नामान्तरकरण के कॉलम नं0 14 में यह अंकित है कि सहायक कलक्टर लालसोट का निर्णय व डिक्री 20.6.2013 को पारित किया गया और उक्त तहसीलदार रामगढ पचवारा ने दिनांक 24.06.2013 को पत्र भेजा जिस पर गिरदावर आई एल आर की रिपोर्ट दिनांक 28.06.2013 को हुई और दिनांक 28.06.2013 को ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। नामान्तरकरण अदालत की डिक्री के आधार पर ही भरा जावे तो पीडित पक्षकार को नोटिस देना आवश्यक है। अतः प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 347 दिनांक 28.06.2013 ग्राम नौरंगपुरा तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा को निरस्त फरमावे। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये।

1. 1982 आर.आर.डी. पेज 332
2. 1982 आर.आर.डी. पेज 333
3. जी.आई. आर. 1978 सुप्रीम कोर्ट 597
4. 1985 आर.आर.डी. पेज 99
5. 2000(2) आर.आर.टी. पेज 966
6. 2003(1) आर.आर.टी. पेज 596
7. 2004(II) आर.आर.टी. पेज 1226

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगायत 6 द्वारा जवाबं बहस में निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना में खोला गया है। जिसकी अपील इस न्यायालय में किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त निर्णय एवं डिक्री की अपील सक्षम

न्यायालय में किया जाना व्यक्त करते हुये निवेदन किया गया कि अपीलेट न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री की अपील का निर्णय पारित किये जाने पर तदानुसार स्वतः नामान्तरकरण यथावत अथवा निरस्त हो जायेगा। अतः अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगायत 6 द्वारा 2005(2) आर.आर.टी 774 पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.6.2013 की पालना में तस्दीक किया गया है। साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा यह तथ्य भी प्रस्तुत किया गया है कि तहसीलदार लालसोट द्वारा मृतक पक्षकारो के विरूद्ध डिक्री पारित होने पर भी सम्बन्धित खातेदार के वारिसान को नोटिस जारी किये बिना प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामान्तरकरण सं0 347 दिनांक 28.06.2013 ग्राम नौरंगपुरा तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं मृतक खातेदारान के वारिसान के सम्बन्ध में जांच कर विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official